

बलराम मटोरिया बनाम स्टेट
प्रकरण संख्या 115/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
15.10. 2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। जबाब स्टेट प्राप्त हुआ। वादी साक्ष्य करवाना नहीं चाहते। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम बलराम मटोरिया पुत्र सुरजाराम मटोरिया है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए चक 6 डीडब्ल्यूएम के खाता सं. 27/25 की 1.821 है., चक 6 डीडब्ल्यूएम के खाता सं. 28/26 की 0.013 है., चक 7 डीडब्ल्यूएम के खाता सं. 48/53 की 0.759 है. भूमि में दर्ज वादी का नाम बलराम पुत्र सुरजाराम के स्थान पर बलराम मटोरिया पुत्र सुरजाराम मटोरिया दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">ॐ</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर एवं सपरखण्ड अधिकारी छवतसर</p>	

